**भारत सरकार**

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 3928**

**सोमवार, 2 अप्रैल, 2018/11 चैत्र, 1940 (शक)**

**गैर-सरकारी परिवहन एग्रीगेटरों को किराए पर लिया जाना**

**3928. श्री हिशे लाचुंगपाः**

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार गैर-सरकारी परिवहन एग्रीगेटरों को देश में बड़ी आबादी के लिए सुलभ बनाने हेतु इसके विनियमन और इसकी आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार के लिए कोई नई पहल करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्‍तर**

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(श्री मनसुख एल. मांडविया)**

**(क) से (ग):** भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत सड़क द्वारा परिवहन राज्‍य का विषय है। तथापि, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने विभिन्‍न परमिटों की जांच करने एवं एक मसौदा स्‍कीम निरुपित करने के लिए एक समिति का गठन किया था। इस समिति ने शहरी आवागमन को बढ़ावा देने के लिए टैक्‍सी नीति से संबंधित दिशा- निर्देश प्रस्‍तावित करते हुए दिसंबर, 2016 माह में रिपोर्ट प्रस्‍तुत की थी। इस रिपोर्ट को सरकार द्वारा स्‍वीकृत किया गया है। इस रिपोर्ट की प्रति सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट ([www.morth.nic.in](http://www.morth.nic.in)) पर उपलब्‍ध है। इसे राज्‍यों के साथ सांझा किया गया है।

\*\*\*\*\*